"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 मई 2014—ज्येष्ठ 2, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ-1/48/2001/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गिरधारी नायक, भापुसे, महानिदेशक, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, रायपुर को दिनांक 12-05-2014 से दिनांक 29-05-2014 तक (18 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री गिरधारी नायक को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश के जाने से पूर्व मिलते थे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री गिरधारी नायक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

4. श्री गिरधारी नायक की उक्त अवकाश अवधि में महानिदेशक, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर का चालू कार्य श्री ए. एन. उपाध्याय, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़, अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मई 2014

क्रमांक एफ 1-4/2012/(6) 52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा की भर्ती तथा पदोन्नति के संबंध में निम्नांकित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—** (1) ये नियम भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक अवर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2014 कहलाएंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी जिसे सेवा या पद में नियुक्ति करने की शक्ति शासन द्वारा प्रत्यायोजित की गई हो या प्रत्यायोजित की जाय;

(ख) **"समिति"** से अभिप्रेत है, चयन/पदोन्नति के लिये गठित समिति;

(ग) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है, नियम 11 के अनुसार सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

(घ) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ङ) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(च) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग;

(छ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(झ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची–चार में उल्लिखित अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) यदि अनुसूची–दो में उल्लिखित अनुसार उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो ऐसे पदों को ऐसे पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे, जो ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा/रेशम प्रभाग) में मूल हैसियत में पद धारण करते हों।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किए गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे

जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन हेतु मापदण्ड शासन द्वारा विहित किया जा सकेगा, तथापि यह आवश्यक होगा कि नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिये, एक चयन समिति गठित करे, जो ये मापदण्ड/अन्य कोई युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश (यथा संशोधित) भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.–** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा के किसी संवर्ग के पदों में उद्भूत रिक्तियों पर समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.–** चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(1) **आयु–** (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमि–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह छूट, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों या परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(पांच) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) उन अभ्यर्थियों के लिये जो परिवार नियोजन/कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत

दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की अवधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त खण्ड (घ) के उप–खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) वे संवर्ग, जिन्हें उनके संवर्ग (जैसे– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त हैं, ऐसे संवर्ग को छूट, अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट पर हमेशा की तरह मिलती रहेगी, किन्तु किसी एक या एक से अधिक आधार पर किसी अभ्यर्थी द्वारा छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत भी सेवा में प्रवेश के प्रयोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ठ) आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं**— अभ्यर्थी के पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए, जैसी कि अनुसूची–तीन में सेवा के लिये विहित है।

(3) (क) **शुल्क** – अभ्यर्थी को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) चिकित्सा शुल्क— ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, को स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता**.— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.-- परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. चयन/प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.– (1) नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे:–

(एक) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों पर ली जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे।

(दो) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा आयोजित की जायेगी।

(2) चयन द्वारा सीधी भर्ती– (एक) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों पर किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करे।

(दो) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन, साक्षात्कार के माध्यम से चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर गठित की जायेगी।

(3) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, [illegible]

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान में रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या, अपेक्षित अनुभव के साथ, उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिये, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

12. **चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.**– (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए चयन

समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तैयार करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजनन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति की जावेगी।

(4) रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.—** (1) उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, विभागीय पदोन्नति समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर, (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण— पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति— संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति में आरक्षण, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(3) शासन द्वारा पदोन्नति के लिये विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.—** (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) पात्र अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची तैयार किये जाने के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदो में वरिष्ठता के आधार पर रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण— ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के

तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. **चयन सूची.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) पदोन्नति के लिये चयन सूची, सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य होगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में उनके नाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व चयन समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

18. **परिवीक्षा.**– सेवा में इस प्रकार चयनित प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण :—** इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्याय संगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है,

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **निरसन एवं व्यावृत्ति :—** (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं,

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों अंतर्विष्ट कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

अनुसूची—एक

(नियम 4 तथा 5 देखिये)

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	इन्सट्रक्टर विविंग	02	तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा	5200—20200 ग्रेड वेतन 2800
2	वर्कशाप ड्राफ्ट मेन	01	—तदैव—	5200—20200 ग्रेड वेतन 2800
3.	एक्सपर्ट विवर	01	—तदैव—	5200—20200 ग्रेड वेतन 2400
4.	साइजर	01	—तदैव—	5200—20200 ग्रेड वेतन 2400
5	कारपेंटर	01	—तदैव—	5200—20200 ग्रेड वेतन 2400
6.	वार्पर	01	—तदैव—	5200—20200 ग्रेड वेतन 2400
7.	स्टोर कीपर	01	—तदैव—	5200—20200 ग्रेड वेतन 2400
8	सहायक ग्रेड—दो	02	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा	5200—20200 ग्रेड वेतन 2400
9	सहायक ग्रेड—तीन	04	—तदैव—	5200—20200 ग्रेड वेतन [illegible]

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिये)
भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा, पद का नाम तथा वर्गीकरण	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
				सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानान्तरण द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, चांपा जिला जांजगीर—चांपा, (ग्रामोद्योग विभाग)	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, चांपा जिला जांजगीर—चांपा, छत्तीसगढ़ अराजपत्रित **तृतीय श्रेणी (तकनीकी) सेवा**	इन्सट्रक्टर विविंग	02	100%	—	
		वर्कशाप ड्राफ्ट मेन	01	100%	—	—
		एक्सपर्ट विवर	01	100%	—	
		साइजर	01	100%	—	
		कारपेंटर	01	100%	—	
		वार्पर	01	100%	—	
		स्टोर कीपर	01	100%	—	
	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा	सहायक ग्रेड—दो	02	—	100%	यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पदों को, ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा / रेशम) के कार्यालय से प्रतिनियुक्ति के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।
		सहायक ग्रेड—तीन	04	75%	25%	चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति / सीधी भर्ती द्वारा

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

विभाग का नाम	सेवा तथा पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणी	चयन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, चांपा, जिला जांजगीर – चांपा, (ग्रामोद्योग विभाग)	इन्सट्रक्टर विविंग	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिये 35 वर्ष तक)	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान से डिप्लोमा इन हैण्डलुम टेक्नालॉजी अथवा डिप्लोमा इन टेक्सटाईल टेक्नालॉजी	विविंग मिल में या हैण्डलुम फैक्ट्री या शिक्षण संस्थान में 3 वर्ष का प्रायोगिक अनुभव	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति में समाविष्ट होंगे– 1. संयुक्त संचालक – अध्यक्ष 2. प्राचार्य भा.ह. प्रौ.सं., चांपा –सदस्य 3. उप संचालक हथकरघा (अजा/अजजा वर्ग) से–सदस्य
	वर्कशाप ड्राफ्ट मेन	18 वर्ष	–तदैव–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजिनियरिंग	–तदैव–	–तदैव–
	एक्सपर्ट विवर	18 वर्ष	–तदैव–	मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से हैण्डलुम विविंग एवं डिजाईनिंग में अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त किया होना चाहिये	हथकरघा/पावर लुम विविंग में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिये	–तदैव–
	साइजर	18 वर्ष	–तदैव–	मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से साईजिंग में अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त किया होना चाहिये	किसी मान्यता प्राप्त मिल/संस्थान में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिये	–तदैव–
	कारपेंटर	18 वर्ष	–तदैव–	मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से कक्षा 10 वीं	वर्कशॉप या विविंग	–तदैव–

				उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से कारपेंटर ट्रेड में प्रमाण पत्र	संस्थान में कारपेंटरी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	
	वार्पर	18 वर्ष	–तदैव–	मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से हैण्डलुम वार्पिंग/मिल वार्पिंग में अल्पावधि पाठ्यक्रम प्राप्त किया होना चाहिये	मिल/हथकरघा संस्थान में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिये	–तदैव–
	स्टोर कीपर	18 वर्ष	–तदैव–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में डिग्री (डिग्री इन कामर्स)	ख्याति प्राप्त संस्थान से स्टोर इंचार्ज के रूप में 4 वर्ष का अनुभव	–तदैव–
	सहायक ग्रेड–तीन	18 वर्ष	तदैव	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र। (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।		तदैव

अनुसूची–चार

(नियम 13 (1) देखिये)

पदोन्नति द्वारा नियुक्ति

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु पात्र होने के लिये सेवा अनुभव की न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, चांपा जिला जांजगीर–चांपा (ग्रामोद्योग विभाग)	सहायक ग्रेड–तीन	सहायक ग्रेड–दो	5 वर्ष	1. संयुक्त संचालक – अध्यक्ष 2. प्राचार्य, भा.ह.प्रौ.सं. – सदस्य 3. उप संचालक – सदस्य (ओआईसी स्थापना)
	भृत्य (हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण)	सहायक ग्रेड–तीन	5 वर्ष	–तदैव–

रायपुर, दिनांक 3 मई 2014

क्रमांक एफ 1-4/2012/(6) 52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-4/2012/(6) 52 दिनांक 3-5-14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd May 2014

No. F 1-4/2012/(6) 52.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and promotions of the Indian Institute of Handloom Technology, Class III (Ministerial & Non-Ministerial) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Indian Institute of Handloom Technology, class III (Ministerial & Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2014.

   (2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definition.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—

   (a) "**Appointing Authority**" means any officer to whom the powers of appointment to the service or the post, has been or may be delegated by the Government.

   (b) "**Committee**" means a committee constituted for selection/promotion.

   (c) "**Examination**" means a competitive examination held for the recruitment to the service as per Rule (11) ;

   (d) "**Government**" means the Government of Chhattisgarh;

   (e) "**Governor**" means the Governor of Chhattisgarh;

   (f) "**Other Backward Class**" means the Other Backward Classes of citizens as specified vide Notification No.-F-8-5/XXV/4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

   (g) "**Schedule**" means the Schedule appended to these rules;

   (h) "**Scheduled Castes**" means the Scheduled Castes as specified in relation to the State of Chhattisgarh under article 341 of the Constitution of India.

(i) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled Tribes as specified in relation to the State of Chhattisgarh under Article 342 of the Constitution of India;

(j) **"Service"** means the Indian Institute of Handloom Technology, Class- III (Ministerial and Non-Ministerial) Services;

(k) **"State"** means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to each member of the Indian Institute of Handloom Technology, Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Services.

4. **Constitution of the service.-** The service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc.-** The classification of service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.** - (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) By direct recruitment through competitive examination or by selection on the basis of merit and through interview ;

(b) By promotion of members of specified posts as mentioned in Schedule-IV;

(c) If suitable candidates are not available, as mentioned in Schedule-II, such posts will be filled by the eligible candidates, who hold posts in substantive capacity in the Directorate of Rural Industries (Handloom/Sericulture Sector).

(2) The number of persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub rule (1) shall not any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of the duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods for recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such methods, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government, after the approval of the General Administration Department, may by order adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub- rule.

(5) The Government may prescribe criteria for the selection on the basis of merit for the posts to be filled through direct recruitment. However, it shall be necessary that a Selection Committee is to be constituted for this purpose by the Appointing Authority, which may adopt these criteria / other reasonable criteria with the consent of the Government.

(6) The provisions of Chhattisgarh Public Service (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Reservation Act, 1994 and directions (as amended) issued by the General Administration Department of Government shall also be applicable.

7. **Appointment in the service.-** After the commencement of these rules, all the appointments on the vacancies created in the posts of any category in the service, shall be made by Appointing Authority, and no such appointments shall be made expect after selection by one the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) **Age-** (a) The Candidate must have obtained the age as specified in column (3) of Schedule–III but must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published.

(b) If the candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), then a maximum of five years relaxation shall be given in the upper age limit.

(c) As per the provision of rule 4 of Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for the Appointment of Women) Rules, 1997, the upper age limit shall be relaxable up to a maximum of ten years to specified women candidates.

(d) The upper age limit shall also be relaxable, in respect of those candidates who are or who have been employees of Chhattisgarh Government, to the extent and subject to conditions specified below :-

(i) A candidate who is a permanent Government servant should not be more than 38 years of age.

(ii) Age of the candidate, holding a temporary post and applying for another post, should not be more than 38 years. This relaxation shall also be applicable to the employees drawing

salary from contingency fund, work charged employee or employees working in Project Implementation Committee.

(iii) A candidate, who is "retrenched Government servant", shall be allowed to deduct, from his age, the period of entire temporary services rendered previously by him/her upto a maximum limit of seven years even if it represents period of more than one services, provided that, the resultant age should not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation - The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service.

(e) A candidate, who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense services previously rendered by him, provided that the resultant age, does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "Ex-Serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in the Government service:-

(i) Ex-Servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-Servicemen enrolled for the second time and discharged on -

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fulfilling of the conditions of enrolment.

(iii) Ex-Personnel of Madras Civil Unit;

(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);

(v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-Servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-Servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-Servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum period of two years for those candidates who are green card holders under Family Planning/Welfare Programme.

(g) The general upper age limit shall also be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste Marriage Incentive Scheme as per Chhattisgarh Inter Caste Marriage Promotional Scheme under Untouchability Eradication Rules, 1984.

(h) The general upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of five years in respect of the Shahid Rajeev Pandey Award, Gundadhur Award and Maharaja Praveerchand Bhanjdev Award holder candidates and National Youth Award holder young candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of the candidates, who are employees of Chhattisgarh State Corporations / Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

NOTE - (1) The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/selection.

(k) Those categories, who are obtaining the benefit of relaxation in maximum age limit on the basis of their category (like – Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Women / Widows / Divorcee etc.), relaxation in maximum age limit of such category will keep on availing additional relaxation in maximum age limit as usual. But even after getting age relaxation by any candidate on any basis of one or more than one basis, then also the maximum age limit for the purpose of entrance in the service shall not exceed 45 years of age limit.

(l) The directions issued by General Administration Department of the Government shall be in force in relation to age limit.

(2) **Educational Qualifications.-** The candidate must possess such educational qualifications as prescribed in Schedule-III for the service.

(3) Fees – (A) The candidate must pay the fees prescribed by the Government.

(B) Medical Fees- The candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board before medical test.

9. **Disqualification.-** (1) Any attempt on part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him from appearing in the examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule for such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he / she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination, as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases, a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

[illegible]y candidate who is convicted of any offence against women shall [illegible]le for any post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage, shall not be eligible for any service or post.

(7) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more than two children are born, shall not be disqualified for any service or post.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of a candidate shall be final.- The decision of the Appointing Authority as to eligibility or otherwise of a candidate for appearing in examination/selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/ interview.

11. Direct Recruitment by Selection / Competitive Examination/ Interview.- **(1)** Appointing Authority shall constitute a Selection Committee consisting of three members:-

(i) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Government, from time to time, determine.

(ii) The examination shall be held by the Selection Committee in accordance with such orders issued by the Appointing Authority from time to time.

(2) Direct recruitment by selection- (i) The selection for direct recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, from time to time, determine.

(ii) The selection of candidates for the service shall be made through interview by the Selection Committee.

(iii) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, at the stage of direct recruitment, in accordance with the provision contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the State Government from time to time.

(4) In filling up the vacancies so reserved, the candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6) At the stage of direct recruitment, 30 percent posts shall be reserved for women candidates in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled by direct recruitment and in the opinion of the Appointing Authority, it is found that the sufficient number of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, with the requisite experience, is not likely to be available for recruitment on the reserved

posts, then the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other backward Classes.

(8) Reservation for the person with disabilities candidates shall be applicable as per the directions issued by the General Administration Department from time to time.

12. **List of Candidates recommended by Selection Committee.- (1)** The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the such standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The List shall also be published for general information of the Public.

(2) Subject to the provisions of these rules and to that of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment against the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list does not confer any right to appointment, unless the Appointing Authority is satisfied, after such inquiry as he may consider necessary for assessing the suitability of the candidate in all respect for appointment to the service.

13 **Appointment by promotion.- (1)** There shall be a constitution of a committee for the initial selection for promotion of eligible candidates:

Provided that, for the purpose of constitution of the Committee under this sub-rule, the provision of Section 8 of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke

Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) The promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(4) Procedure for making promotion in the vacancies shall be made in accordance with the instructions issued by the Government of Chhattisgarh, General Administration Department from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

14. **Conditions regarding eligibility for promotion.-** (1) Subject to the provisions contained in sub-rule (2), the Departmental Promotion Committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year had completed such number of years of the service (whether officiating or substantive) in the posts from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- Manner of computation for eligibility for promotion - The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening

Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeding cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) The reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The promotion shall be done as per the Reservation Roster prescribed for promotion by the Government.

15. Preparation of list of suitable candidates.- **(1)** The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service, the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) The list of eligible officers shall be prepared as per the provision of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The names of employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

Explanation - The person whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Select list.- **(1)** The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the select list for promotion of the member of the service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (3) of Schedule-IV.

(2) The select list for promotion shall be ordinarily valid for 31st December of the calendar year from the date of its preparation:

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of Appointing Authority and he may, if he thinks fit, remove the name of such person, from the select list.

17. Appointment to the service from the select list.- **(1)** Appointment of the persons included in the select list shall be made to the posts borne on the cadre in the order in which their names appear in the list in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the selection committee before appointment of a person, whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. Probation.- Every person so selected in the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

20. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom

these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and proper:

Provided that, the case shall not be dealt with in any manner which is less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Repeal and saving.**— (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that, any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instructions/order issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Deputy Secretary.

SCHEDULE - I

(See rule 4 and 5)

Classification, pay and number of the post included in the service

S. No.	Name of the post included in the service	Number of Post	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Instructor weaving	02	Class III (Technical) Service	5200-20200 Grade Pay 2800
2	Work Shop Draft man	01	--do--	5200-20200 Grade Pay 2800
3	Expert Weaver	01	--do--	5200-20200 Grade Pay 2400
4	Sizer	01	--do--	5200-20200 Grade Pay 2400
5	Carpenter	01	--do--	5200-20200 Grade Pay 2400
6	Warper	01	--do--	5200-20200 Grade Pay 2400
7	Store Keeper	01	--do--	5200-20200 Grade Pay 2400
8	Assistant Grade – II	02	Class III (Ministerial) Service	5200-20200 Grade Pay 2400
9	Assistant Grade – III	04	--do--	5200-20200 Grade Pay 1900

SCHEDUL-II

(See rule 6)

Method of Recruitment

Name of Department	Name of Service, Post and Classification	Name of Post	Total Number of Posts	Percentage of the number of posts to be filled in		
				By direct recruitment [See rule 6(1)(a)]	By promotion of members of the services [See rule 6(1)(b)]	By temporary transfer of the persons of other services [See rule 6(1)(c)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indian Institute of Handloom Technology, Champa Dist. Janjgir, Champa (Gramodyog Department)	Indian Institute of handloom Technology, Champa District Janjgir-Chanpa, Chhattisgarh No-Gazetted **Class III (Technical) Service**	Instructor Weaving	02	100%	-	-
		Work Shop Draft man	01	100%	-	-
		Expert Weaver	01	100%	-	-
		Sizer	01	100%	-	-
		Carpenter	01	100%	-	-
		Warper	01	100%	-	-
		Storekeeper	01	100%	-	-
	Class III (Ministerial) Service	Assistant Grade-II	02	—	100	If suitable candidates are not available, the post will be filled by the eligible candidates from the office of Directorate of Gramodyog (Handloom/Resam on deputation basis
		Assistant Grade-III	04	75%	25%	By Promotion from Class-IV/Direct recruitment.

SCHEDUL-III

(See rule 8)

Age and qualification of the persons to be recruited directly

Name of Department	Name of Service, Post	Minimum age limit	Upper age limit	Prescribed educational qualifications	Remark	Selection committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Indian Institute of Handloom Techonlogy, Champa District Janjgir, Champa (Rural Industries Department)	Instructor Weaving	18 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	Diploma in Handloom Technology Or diploma in Textile Technology from India Institute of Handloom Technology	3 Years Practical Experience in in a Weaving Mill or Handloom Factory or in an educational Institution	A Selection committee formed by appointing authority comprises 1. Joint Director Chairman 2. Principal, IIHT Champa-Member 3. Deputy Director Handloom from (ST/SC class - member
	Work shop Draft man	..do..	..do..	Diploma in Mechanical Engineering from the recognized University or Institution	..do..	..do..
	Expert Weaver	..do..	..do..	Should have passed 10th standard from recognized Education Board and have undergone short term training course in handloom weaving/designing in a recognized institution	Should posses not less than two years experience in handloom/ power loom weaving	..do..
	Sizer	..do..	..do..	Should have passed 10th standard from recognized Education Board and have undergone short term training course in sizing in a recognized institution	Should posses not less than two years experience in mill/ Institution	..do..
	Carpenter	..do..	..do..	Should have passed 10th standard from recognized Education Board and Certificate in carpenter Trade from recognized Industrial Training Institute.	Five years experience as a carpenter in workshop or weaving Institution	..do..
	Warper	..do..	..do..	Should have passed 10th standard from recognized Education Board and have undergone short term course in handloom warping/mill warping in a recognized institution	Should posses not less than two years experience in mill/handloom Institution	..do..
	Store Keeper	..do..	..do..	Degree in Commerce from recognized University.	Four years experience in reputed institution as store in charge	..do..

	Assistant Grade - III	..do..	..do..	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute. (3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).		--do--

SCHEDULE – IV

[See rule 13(1)]
Recruitment by promotion

Name of Department	Name of service or post from which promotion is to be made	Name of service or post to which promotion is to be made	Minimum service period of experience for eligibility of promotion	Name of Member of the Department Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indian Institute of Handloom Technology, Champa District Janjgir-Champa (Rural Industries Department)	Assistant Grade – III	Assistant Grade – II	5 years	1. Joint Director –Chairman 2. Principal , IIHT, Champa - Member 3. Deputy Director- Member (OIC Establishment)
	Peon (Higher Secondary Passed)	Assistant Grade – III	5 years	....do.....

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 2 मई 2014

क्रमांक/4039/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुरिया

(ग) नगर/ग्राम-बड़गांव, प.ह.नं. 39

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.669 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	575/1	0.154
	575/2	0.255
	574/2	0.092
	572/1	0.750
	569/2	0.405
	534	0.308
	538/1	0.669
	532/1	0.404
	526/5	0.218
	505/3	0.150
	499/1	0.330
	482/2	0.245
	482/1	0.222
	473/1	0.138
	479/2	0.364
	479/1	0.179
	479/3	0.167
	454/6	0.238
	574/1	0.243
	503/1	0.087
	481	0.242
	(1)	(2)
	469/1	0.213
	392/1	0.141
	467/3	0.175
	477	0.099
	483/6	0.057
	475	0.302
	478	0.285
	483/1	0.142
	483/2	0.134
	483/3	0.093
	483/4	0.083
	483/5	0.085
योग	33	7.669

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 8 मई 2014

क्रमांक/5150/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुरिया

(ग) नगर/ग्राम-बरछाटोला, प.ह.नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.919 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
21	0.251
24/1	0.121
24/4	0.008

(1)	(2)
24/5	0.077
25	0.121
26/11	0.069
26/12	0.129
26/41	0.162
26/1	0.049
26/9	0.101
131	0.142
132/1+2	0.057
130/1	0.008
129/7	0.045
129/4	0.077
140/1	0.036
137	0.081
84/2	0.028
85	0.085
86	0.040
88/2	0.032
88/1	0.028
89/3	0.040
89/2	0.036
90/3	0.036
90/1	0.036
91/2	0.024
योग 27	1.919

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के शाखा नहर नाली क्र. 01 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 8 मई 2014

क्रमांक/5153/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-शिकारीटोला, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.973 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
113/2	0.140
113/3	0.020
32/2	0.180
33/7	0.101
33/5	0.080
31/1	0.008
31/2	0.024
28/2	0.196
27/2	0.020
29/3	0.084
27/1	0.112
33/4	0.008
योग 12	0.973

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के अंतर्गत शिकारीटोला माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 8 मई 2014

क्रमांक/5154/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बरछाटोला, प.ह.नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.145 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	202/1	0.073
	211/2	0.061
	211/1	0.065
	215/3	0.057
	213	0.081
	214	0.020
	215/1	0.008
	215/4	0.134
	199/2	0.008
	199/1	0.170
	197/2	0.036
	197/4	0.004
	188/1	0.146
	188/2+3	0.032
	189	0.113
	188/5+6	0.129
	191	0.008
योग	17	1.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के शाखा नहर नाली क्र. 02 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 8 मई 2014

क्रमांक/5155/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-नागरकोहरा, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.048 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	160/3	0.328
	160/10	0.008
	160/16	0.020
	164/1	0.065
	164/2	0.065
	168	0.282
	169	0.049
	170/1	0.004
	170/2	0.081
	173/4	0.061
	171/7	0.012
	172/1	0.093
	172/2	0.093
	155/1	0.081
	177/9	0.041
	177/8	0.093
	177/6	0.049
	186/1	0.069
	186/2	0.065
	184	0.041
	190/1	0.101
	190/3	0.036
	189/2	0.032
	191	0.101
	200/10	0.041
	157/1	0.129
	177/5	0.008
योग	27	2.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खातूटोला बैराज के चिचोला माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 12 मई 2014

क्रमांक भू-अर्जन/93/अ/82 वर्ष 2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धमतरी
(ख) तहसील-कुरूद
(ग) नगर/ग्राम-भखारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.87 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1631	0.26
	1647	0.15
	1648	0.1
	1649	0.15
	1650	0.17
	1654	0.03
	1655	0.43
	1675	0.11
	1677	0.12
	1678	0.18
	1679	0.02
	1679, 1676	0.15
योग	12	1.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-भखारा बायपास मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 12 मई 2014

क्रमांक भू-अर्जन/95/अ/82 वर्ष 2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-धमतरी
(ख) तहसील-कुरूद
(ग) नगर/ग्राम-सिहाद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.55 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20	0.13
21	0.08
24	0.55
25	0.21
26/1	0.08
26/2	0.01
27/1	0.15
27/2	0.1
28/1	0.16
28/2	0.04
29/1	0.08
29/2	0.07
32	0.02
44	0.16
47	0.16
48	0.35
50	0.1
51	0.18
52	0.09
53	0.02
84	0.1
82	0.25
354	0.03
357	0.05
358	0.02
359	0.08
367	0.04

	(1)	(2)
	368	0.02
	370	0.06
	371	0.08
	372/2	0.08
योग	31	3.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-भखारा बायपास मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2014

क्रमांक/क/3000/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-माखनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.41 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	163/1	1.04
	163/2	0.32
	163/3	0.05
योग	3	1.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धौंराभांठा जलाशय योजना के स्पील चैनल निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2014

क्रमांक/क/3001/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-माखनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.79 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
94/1	0.32
94/2	0.05
94/3	0.13
95/1	0.20
100/1	0.05
101	0.29
102	0.44
104/2	0.12
105/2	0.25
106/1	0.09
113/1	0.10
113/3, 114/2	0.05
115/1	0.05
115/6	0.15

	(1)	(2)
	117/1	0.40
	118/1	0.20
	118/2	0.55
	118/3	0.60
	136/3, 137/2, 148/1	0.30
	136/2, 148/2	0.30
	176/1	0.12
	176/2	0.06
	177/2क	0.05
	177/2ख	1.00
	178/1	0.20
	189/4	0.20
	196/1, 469/1	0.10
	196/2, 469/2	0.25
	197/1	0.07
	198	0.03
	200/1	0.20
	200/2	0.20
	201	0.25
	202	0.10
	205	0.10
	466	0.05
	468/2	0.03
	485/2	0.14
योग	44	7.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धौंराभांठा जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 31 मार्च 2014

क्रमांक/क/3002/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-पाली
(ग) नगर/ग्राम-साजाबहरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	51	0.40
योग	1	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चैतमा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

डभरा, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 972.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम

प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा को अधिसूचना क्रमांक भाग-1/299 दिनांक 31 मई 2013 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एन.टी.पी.सी. लारा परियोजना के लिये जल परिवहन द्वारा साराडीह वैराज से भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 31 मई 2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बगरैल/25	495/1	0.113
			495/2	0.320
			497	0.080
			518/1, 2	0.218
			522/2	0.004
			517/1	0.202
			523/1, 2	0.040
			524	0.283
			525/1, 2	0.080
			533/1	0.010
			533/2	0.040
			528	0.121
			529/1	0.010
			529/2	0.117
			529/3	0.121
			527	0.202
			595/1, 2, 3	0.105
			596/2	0.154
			833/1, 2	0.072
			832/1, 2, 3, 4	0.281
			829/1	0.040
			829/2, 3, 4	0.117

क्रि प्रि

(1)(2)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बगरैल/25	830/1	0.160
			830/2	0.320
			830/3	0.080
			830/4	0.264
			767/1, 2	0.040
			826/1, 2, 3	0.336
			825/1, 2	0.146
			817	0.024
			818	0.065
			823/1, 2	0.160
			822/1	0.121
			822/2	0.126
			498	0.024
			494	0.101
			493	0.081
			464	0.012
			465/1, 2	0.133
			492	0.118
			467/1	0.223
			467/2	0.085
			443/1	0.105
			466	0.081
			444/1	0.142
			444/2	0.162
			381/3	0.085
			380/3	0.141
			381/2	0.154
			381/1	0.081
			380/1	0.081
			380/2	0.081
			340/1, 2, 3	0.251
			341	0.121
			342	0.134
			343	0.129
			362/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,	0.510
			359/2	0.073
			361/1	0.040
			361/2	0.068
			363	0.081
			461/1, 2	0.020
			462	0.012

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बगरैल/25	396/1, 2, 3, 4	0.202
			365/2	0.016
			360/1, 2	0.093
			364/1, 2	0.073
			367	0.016
		योग		8.301

के. के. शर्मा,
सक्षम अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 15 मई 2014

प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)

क्रमांक/96/भू.पा.ला.प्र.अ./01/अ-74/वर्ष 2013-14.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग (छ.ग.) की अधिसूचना क्रमांक 442/भू.पा.ला.प्र.अ./01/अ-74/वर्ष 2013-14 दुर्ग दिनांक 12-02-2014 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में जेके लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र परियोजना के लिये जल परिवहन द्वारा जेके लक्ष्मी सीमेंट लि. हेतु भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21-02-2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.		खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
दुर्ग	धमधा	सहगांव-31		1	0.10
				2	0.03
				14	0.02
				16	0.01
			योग	4	0.16

दुर्ग, दिनांक 15 मई 2014

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक/97/भू.पा.ला.प्र.अ./02/अ-74/वर्ष 2013-14.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है.) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग (छ.ग.) की अधिसूचना क्रमांक 444/भू.पा.ला.प्र.अ./02/अ-74/वर्ष 2013-14 दुर्ग दिनांक 12-02-2014 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में जेके लक्ष्मी सीमेंट संयंत्र परियोजना के लिये जल परिवहन द्वारा जेके लक्ष्मी सीमेंट लि. हेतु भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21-02-2014 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.		खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
दुर्ग	धमधा	नंदिनी खुदनी-31		1	0.02
				293	0.01
				321	0.15
			योग	3	0.18

संजय कुमार दिवान,
सक्षम अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 1 मई 2014

क्रमांक 69/दो-3-4/2010.—श्रीमति रजनी दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 06-03-2014 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 7 मई 2014

क्रमांक 72/दो-2-39/2004.—श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-04-2014 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.